भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **27**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का आयात

27. डॉ.टी.सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:
श्री डी.एम.कथीर आनन्द:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का उर्वरकों का आयात 18 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है और अकेले चीन से लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक उर्वरकों की मांग और आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ग) क्या सरकार प्रतिवर्ष 80,000 करोड़ रुपए उर्वरक राजसहायता के रूप में प्रदान कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों का वर्तमान मूल्य कितना है तथा देश भर में किसानों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): भारत सरकार उत्पादन और आकलित मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए उर्वरक विभाग के माध्यम से सरकारी खाते से यूरिया (कृषि प्रयोजन) का आयात करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान यूरिया का आयात और बिलियन यूएस डॉलर में इसका मूल्य निम्नानुसार है:

2022-23 में आयातित यूरिया की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	**बिलियन यूएस डॉलर में यूरिया का मूल्य**	**2022-23 में चीन से आयातित यूरिया की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)**	**बिलियन यूएस डॉलर में चीन से आयातित यूरिया का मूल्य**
75.80	4.751	12.80	0.831

जहां तक पीएण्डके उर्वरकों का संबंध है, उर्वरकों के इन ग्रेड को पोषकतत्व आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) के अंतर्गत मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है। ये कंपनियों द्वारा उनकी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर आयात किए जाते हैं। आयातित पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य का लेखा-जोखा इस विभाग में नहीं रखा जाता है। तथापि, वर्ष के दौरान आयातित पीएण्डके उर्वरकों की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है:

2022-23 में आयातित पीएंडके उर्वरकों की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	**2022-23 में चीन से आयातित पीएंडके उर्वरकों की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)**
112.01	13.00

(ख): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई; रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई; और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की संस्थापित यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अत: इन इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष की वृद्धि की है जोकि वर्तमान में 283.74 एलएमटी है। इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष के नए ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना करके एफसीआईएल की तलचर इकाई के पुनरुद्धार हेतु 28 अप्रैल, 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करने के उद्देश्य के साथ सरकार ने 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 के परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान के उत्पादन की तुलना में यूरिया का अधिक उत्पादन हुआ है।

देश में स्वदेशी यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से प्रत्येक स्थान पर 12.7 एलएमटीपीए क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की स्थापना के लिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तलचर (ओडिशा) इकाइयों तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई के पुनरुद्धार को अधिदेशित किया है। रामागुंडम और गोरखपुर इकाइयों को क्रमशः 22.03.2021 और 07.12.2021 को चालू कर दिया गया है। साथ ही, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमश: 18.10.2022 और 05.11.2022 से यूरिया उत्पादन आरंभ कर दिया है। इन चार संयंत्रों ने देश की घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में 50.8 एलएमटी की वृद्धि हुई है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत, अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपने व्यवसाय संबंधी उतार-चढ़ाव (बिजनेस डायनामिक्स) के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर, उर्वरक कंपनियों को उनकी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने और विनिर्माण को बढ़ाने तथा देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस के अंतर्गत नई पीएण्डके कंपनियों और उनके उर्वरक उत्पादों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। किए गए अन्य प्रयास निम्नलिखित हैं:

(i) शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए 13.10.2021 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है।

(ii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी को खरीफ और रबी 2023-24 के लिए लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा "पी" पोषकतत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

(ग): 2019-20 से लेकर अब तक एनबीएस सब्सिडी पर वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:

2019-20	-	83,468 करोड़ रु. (वास्तविक व्यय)
2020-21	-	131,229 करोड़ रु. (वास्तविक व्यय)
2021-22	-	157,640 करोड़ रु. (वास्तविक व्यय)
2022-23	-	254,799 करोड़ रु. (वास्तविक व्यय)

(घ): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया सुपुर्दगी लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए (30.01.2024 की स्थिति के अनुसार) (एनआईसी परामर्शदाता से यथाप्राप्त) पीएंडके उर्वरकों का वर्तमान औसत एमआरपी **संलग्न** है।

*****

अनुलग्नक

एनबीएस प्रणाली के तहत अधिसूचित पीएंडके उर्वरक की प्रति मीट्रिक टन ग्रेड-वार औसत एमआरपी

क्र.सं.	उत्पाद	2023-24 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार
1	10-26-26	29394
2	12-32-16	29958
3	14-28-0-0	30681
4	14-28-14	33500
5	14-35-14	30861
6	15-15-15	29017
7	15-15-15-9	29003
8	16-16-16	
9	16-20-0-13	24449
10	17-17-17	25000
11	19-19-19	31286
12	20-20-0	23656
13	20-20-0-13	25136
14	20-20-0-13 (यूएपी)	
15	24-24-0	33120
16	24-24-0-8	30922
17	28-28-0	30882
18	अमोनियम सल्फेट	20000
19	बोरोनयुक्त 12-32-16	28500
20	शहरी कम्पोस्ट	
21	डीएपी	27000
22	एफओएम	7052
23	आयातित 10-26-26	29344
24	आयातित 12-32-16	31232
25	आयातित 15-15-15	29071
26	आयातित 15-15-15-9	29048
27	आयातित 16-16-16	25220
28	आयातित 16-20-0-13	28998
29	आयातित 17-17-17	
30	आयातित 20-20-0	
31	आयातित 20-20-0-13	26038
32	आयातित डीएपी	27000
33	आयातित डीएपी लाइट	
34	आयातित एमएपी	33980
35	आयातित नीम लेपित यूरिया (45 कि.ग्रा.)	
36	एलएफओएम	6826
37	एमओपी	34208
38	नीम लेपित यूरिया (45 कि.ग्रा.)	
39	पीआरओएम	14742
40	एसएसपी- बोरोनयुक्त	12130
41	एसएसपी- दानेदार	11057
42	एसएसपी- पाउडर	10536
43	एसएसपी- जिंकयुक्त (दानेदार)	11797
44	एसएसपी- जिंकयुक्त (पाउडर)	10984
45	एसएसपी- जिंकयुक्त-बोरोनयुक्त (दानेदार)	13998
46	टीएसपी	25000
47	जिंक और बोरोन एनपीके 8-21-21 (40 कि.ग्रा.)	42787
48	जिंक और बोरोन एनपीके 9-24-24 (40 कि.ग्रा.)	44732
49	जिंकयुक्त 10-26-26	30000
50	जिंकयुक्त 12-32-16	28500
51	जिंकयुक्त 20-20-0-13	26445
52	जिंकयुक्त डीएपी	
53	जिंकयुक्त एनपीके 14-35-14	32000

* **आंकड़े https://dbtfert.nic.in/ से**